

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या - 116/2024
अनवान : -

1. शिशपाल पुत्र सुखराम जाति नायक निवासी गुडीया तहसील नोहर।

- वादी

बनाम्

1. सुखराम पुत्र हरदेवाराम जाति नायक निवासी गुडीया तहसील नोहर।
2. कृष्णा पुत्री सुखराम जाति नायक निवासी गुडीया तहसील
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88-89 ,राजस्थान काश्त0
अधि0 1955

उपस्थिति :- श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय

दिनांक:-07/03/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि वादी एवं प्रतिवादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि वादी एव प्रतिवादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि रोही मोजा 5 बी बारानी तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत 2071-2074 के खाता संख्या 85/48 के कुल खसरे 27 का कुल क्षेत्रफल 5.8190 है0 भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि व खाता संख्या 86/86 के कुल खसरे 28 का कुल क्षेत्रफल 7.0840 है. भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि प्रतिवादी सं. 1 के खातेदारी नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं।

उपरोक्त भूमि वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमे वादी व प्रतिवादी सं. 2 का जन्मजात हक व हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 2 जो कि वादी कि बहिन है व प्रतिवादी संख्या 1 कि पुत्री है उपरोक्त भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं लेना चाहती तथा मुताबीक पारिवारीक समझोता अपना जो भी हक व हिस्सा उपरोक्त भूमि है अपने परिवार के मोजिज व्यक्तियो के सामने अपने भाई व पिता के पक्ष में परित्याग कर चुकी है। जिसके पष्वात् मुताबीक पारिवारीक समझोता रोही मोजा 5 बी बारानी तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत 2071-2074 के खाता संख्या 85/48 के कुल खसरे 27 का कुल क्षेत्रफल 5.8190 है0 भूमि में से 1/3 हिस्सा पर वादी काबिज है व खाता संख्या 86/86 के कुल खसरे 28 का कुल क्षेत्रफल 7.0840 है. भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 काबिज है। वादी जिसकी घोषणा न्यायालय से करवाकर राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवा पाने का अधिकारी है यही विनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

01
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद वादी एवं प्रतिवादी सं० 1 ता 2 की तरफ से श्री सुनील कटारिया अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश कर इकबाल जवाब पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 को कोई एतराज नहीं है। प्रतिवादी संख्या 3 परोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम व पुरानी जमाबंदी व शपथ पत्र बाबत सदस्य आदि दस्तावेज पेश किये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में वादी के पिता के नाम दर्ज है उक्त वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्म से हक हिस्सा है। प्रतिवादीया संख्या 2 जो कि वादी की बहिने है उपरोक्त भूमि में कोई में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह परिवार के मौजिज व्यक्तियों के सामने प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष मे त्याग कर शून्य कर लिया है। बाद हक त्याग वाद भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 द्वारा वादी के वाद के संबंध में ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में किसी को कोई एतराज नहीं है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमावे।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मोजा 5 बी बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071-2074 के खाता संख्या 85/48 के कुल खसरे 27 का कुल क्षेत्रफल 5.8190 है० भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि व खाता संख्या 86/86 के कुल खसरे 28 का कुल क्षेत्रफल 7.0840 है। भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि प्रतिवादी सं. 1 के खातेदारी नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं, वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि होना साबित है तथा उभयपक्ष ने उक्त वाद भूमि, हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक कृषि भूमि होना जाहिर किया है। वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं पत्रावली में दर्शाये सजरा खानदान के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 के अन्य कोई वारिस नहीं होना स्वीकार किया है। प्रतिवादीगण संख्या

1 ता 2 द्वारा जरिये अधिवक्ता इकबाल जवाब पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 को कोई एतराज नहीं है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा 5 बी बारानी तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत 2071-2074 के खाता संख्या 85/48 के कुल खसरे 27 का कुल क्षेत्रफल 5.8190 है0 भूमि में 1/3 हिस्सा भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को बतौर खातेदार घोषित किया जाता व खाता संख्या 86/86 के कुल खसरे 28 का कुल क्षेत्रफल 7.0840 है। भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07/03/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या - 116/2024
अनवान : -

1. शिशपाल पुत्र सुखराम जाति नायक निवासी गुडीया तहसील नोहर।

- वादी

बनाम्

1. सुखराम पुत्र हरदेवाराम जाति नायक निवासी गुडीया तहसील नोहर।
2. कृष्णा पुत्री सुखराम जाति नायक निवासी गुडीया तहसील
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।


- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 116 सन 2024 निर्णय दिनांक - 07/03/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादीया श्री रविन्द्र कुमार गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा 5 बी बारानी तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत 2071-2074 के खाता संख्या 85/48 के कुल खसरे 27 का कुल क्षेत्रफल 5.8190 है0 भूमि में 1/3 हिस्सा भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को बतौर खातेदार घोषित किया जाता व खाता संख्या 86/86 के कुल खसरे 28 का कुल क्षेत्रफल 7.0840 है। भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 07/03/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर